



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर पॉक्सो एक्ट के अभियोग में अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15,000 के अर्थदण्ड की सजा।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवांर में पंजीकृत मु०अ०सं०-243/2017 धारा-363, 366, 376 भा०द०सं० व 04 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पॉक्सो कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ अजय अनुरागी पुत्र हरीराम निवासी मुहल्ला फत्तेपुर कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी अवधनरेश  
चन्देल



विवेचक-  
उ०नि० भोजराज  
अवस्थी



पैरोकार- थाना बिवांर  
का० श्रीकान्त राजपूत